

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरमंगा-846004

(अभिषद् की बैठक संख्या 03/20)

दिनांक 28.11.2020 का कार्यवृत्त

समयः 02:30 बजे अपराहन स्थानः कुलपति आवासीय कर्यालय का सभाकक्ष।

उपस्थितिः

उपास्थातः		
1. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	_	अध्यक्ष
2. प्रो0 डॉली सिन्हा, प्रति – कुलपति	_	सदस्य
 डॉ० दिलीप कुमार चौधरी 	_	सदस्य
4. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	_	सदस्य
 डॉ० अशोक कुमार झा, अध्यक्ष, छा०क० 	_	सदस्य
 डॉ० अजय नाथ झा, कुलानुशासक 	_	सदस्य
7. डॉ० दयानन्द पासवान	_	सदस्य
8. डॉ0 प्रेम मोहन मिश्र	_	सदस्य
9. डॉ० अमर कुमार	_	सदस्य
10. डॉ0 अशोक कुमार मेहता	_	सदस्य
11. डॉ० धनेश्वर प्रसाद सिंह	_	सदस्य
12. श्री सुजीत पासवान	-	सदस्य
13. डॉ० विनोद कुमार चौधरी	-	सदस्य
14. श्री संजय सरावगी	_	सदस्य
15. डॉ० फैयाज अहमद	-	सदस्य
16. श्रीमती मीना कुमारी	_	सदस्य
17. डॉ0 हरि नारायण सिंह	_	सदस्य
18. डॉ० हरेकृष्ण सिंह, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य	_	सदस्य
19 श्री इम्बेशात शौकत	_	सदस्य
20. डॉ० मीना प्रसाद, प्रधानाचार्या, समस्तीपुर कॉलेज	_	सदस्य
21. डॉ० मुकेश कुमार, प्रधानाचार्य, ए०पी०एस०एम० कॉलेज	-	सदस्य
22. डॉ0 मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	_	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव डाँ० मुश्ताक अहमद ने माननीय सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति के बाद बैठक की गणपूर्त्ति होने पर माननीय कुलपित—सह—अध्यक्ष से बैठक संचालन की अनुमित ली। तदुपरान्त कुलसचिव ने सभी माननीय सदस्यों का परिचय कराया एवं स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष ने भी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यसूची पर विचार करने से पूर्व दो ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डाला। प्रथम, विश्वविद्यालय का ससमय "नैक" नहीं होने के कारण शैक्षणिक एवं आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने से जो संकट पैदा हुआ है, उसकी विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत कराया।

द्वितीय, "नैक ग्रेड— A+" प्राप्त नहीं होने के कारण दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सत्र जुलाई 2020 से गजट नोटिफिकेशन दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा नये नामांकन पर पाबंदी लगने के कारण



निदेशालय के अस्तित्व पर जो खतरा पैदा हुआ है और मिथिलांचल के छात्र—छात्राओं के भविष्य एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पर पड़ने वाले संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

नैक से सम्बन्धित निर्णय लेने एवं कार्यवाही करने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने कुलपित—सह—अध्यक्ष को अधिकृत किया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय कुलपित ने इस सम्बन्ध में यू०जी०सी० एवं नैक के अधिकारियों से हुई वर्ता एवं भेजे गये अनुरोध पत्रों और उनके प्रत्युत्तर से सभी सदस्यों को अवगत कराया और विभिन्न मानकों के आधार पर इसके पुनर्जीवन के लिए माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध एवं व्यक्तिगत तथा समूहगत प्रयास हेतु माननीय सांसद एवं माननीय विधायकगण से सहयोग की अपेक्षा की गई। अभिषद में उपस्थित समस्त सदस्यों ने इसमें सहयोग का आश्वासन दिया। कुलपित महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि लिलत नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 5, अगस्त 1972 को हुई थी, इसलिए सत्र 2021—2022 का वर्ष विश्वविद्यालय का "स्वर्ण शताब्दी" वर्ष होगा और उस "स्वर्ण—जयंती समारोह" को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से ही विश्वविद्यालय को प्रत्येक कार्यक्षेत्र में सार्थक पहल प्रारम्भ करनी होगी। माननीय सदस्यों ने कुलपित महोदय के इस सुझाव का स्वागत किया और इसके लिए ठोस कदम उठाने की स्वीकृति दी। साथ ही हर प्रकार के निर्णय के लिए अधिकृत भी किया। कुलपित महोदय ने इसके लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 03.08.2019, 29.08.2019, 13.12.2019 एवं Online बैठक दिनांक 05.05.2020 एवं 13.11.2020 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः उपर्युक्त अभिषद् की बैठकों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि 03.08.2019, 29.08.2019, 13.12.2019 की बैठकों में लिये गये कई निर्णयों पर राजमवन द्वारा जॉच चल रही है, अतः उसकी सम्पुष्टि नहीं की जाती है। बैठकों में शिक्षक, शिक्षकेत्तर किंगों से संबंधित एवं अन्य शैक्षणिक निर्णयों की सम्पुष्टि की जाती है। Online बैठक दिनांक 05.05.2020 एवं 13.11.2020 के कार्यवृत्तों को सम्पुष्ट किया गया। इसी क्रम में सर्वसम्मित से यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में एस0वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुर्गियाचक, दश्मंगा में नामांकित सत्र 2000—2001 की छात्र—छात्राओं की परीक्षा छात्रहित में यथाशीघ्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कर ली जाय।

मद संo 2. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार परिषद् की 90वीं, 91वीं, 92वीं, 93वीं, 96वीं, 97वीं एवं 98वीं बैठक के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मित से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सलाहकार परिषद् की 90वीं, 91वीं, 92वीं, 93वीं बैठकों के कार्यवृतों के निर्णयों को स्थगित रखा गया क्योंकि इन बैठकों के कई निर्णयों पर भी राजभवन की जाँच चल रही है। बैठक 96वीं, 97वीं एवं 98वीं के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की गई।

मद संo 3. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2020 एवं 21.10.2020 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संo 4. Approval Seniority & Pay fixation Committee की बैठक दिनांक 27.08.2019 एवं 20.09.2019 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 5. डॉंं कीर्ति चौरसिया, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, मिल्लत कॉलेज, दरंभगा को अभिषद् द्वारा स्वीकृत ग्रहणधिकार को उनके द्वारा वापस लेने संबंधी आवेदन पर विचार।.

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संo 6. डॉo पूजा अग्रहरी, सहायक प्राचार्य, जन्तुविज्ञान विभाग, सीoएमo साईन्स कॉलेज, दरंभगा को दिनांक 12.01.2020 से तीन माह का स्वीकृत असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 7. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों/अंगीभूत महाविद्यालयों में उर्दू विषय के नवनियुक्त सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859/96 दिनांक 21.02.2020 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच-प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। (जाँच प्रतिवेदन परिशिष्ट "क" संलग्न)

To consider the recommendations of Selection Committee for grant of promotion of teachers in the subjects of Psychology and Botany, respectively held on 13.02.2020 and 03.03.2020 under Career Advancement Scheme/Time Bound Promotion Statutes.

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 10. पद सृजन, अन्तर्लीनिकरण एवं सेवा सम्पुष्टि समिति की बैठक दिनांक 03.03.2020 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संठ 11. To consider the period of absence of Dr. Ashok Kumar Jha, Deptt. of Chemistry, C.M.Sc. College, Darbhanga from 09.02.2016 to 27.04.2017.

निर्णयः कुलसचिव द्वारा उक्त मद को पुनः विचार हेतु वापस लिया गया।

मद सं0 12. प्रो0 विनय कुमार चौधरी, प्राचार्य, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा उपभुक्त अर्जित अवकाश से संबंधित आवेदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 13. प्रो0 विनय कुमार चौधरी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को शपथ ग्रहण की तिथि से सदस्यता की अविध के लिए असाधारण सवैतिनक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 14. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 20.11.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 08.02.2020, 06.03. 2020, 03.05.2020, 03.07.2020, 30.08.2020, 06.10.2020 एवं 19.10.2020 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0:1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.11.2020 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद संo: 2. विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/3618-21/20 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा स्वीकृत नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर के त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि त्यागपुत्र देने वाले शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जाना चाहिये कि वे भविष्य में पुनः विश्वविद्यालय में अपनी पूर्व सेवा पर लौट नहीं सकेंगे।

अतिरिक्त मद सं0: 3. डॉ० गौतम कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को दिनांक 22.10.2019 से दिनांक 31.05.2020 तक ग्रहणाधिकार—सह—अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 4. दिनांक 20.11.2019 को आयोजित "अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति" के मद संख्या 05 में लिए गए निर्णय पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद संo: 5. श्री रवि कान्त आनन्द, सहायक प्राचार्य भूगोल विभाग, आर0सी0एस0 कॉलेज, मंझौल, बेगूसराय को दिनांक 01.02.2020 से छः माह का स्वीकृत शैक्षणिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद संo: 6. विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/DR-II/27255-65/20 दिनांक 03.06.2020 एवं ज्ञापांक C/DR-II/272508-15/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा स्वीकृत नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर के त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मित से अनुमोदित किया गया। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि त्यागपत्र देने वाले शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जाना चाहिऐ कि वे भविष्य में पुनः विश्वविद्यालय में अपनी पूर्व सेवा पर लौट नहीं सकेंगे।

अतिरिक्त मद संo: 7. विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/1873-77/20 दिनांक 18.07.2020 के द्वारा स्वीकृत नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर के त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मित से अनुमोदित किया गया। परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि त्यागपत्र देने वाले शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जाना चाहिऐ कि वे भविष्य में पुनः विश्वविद्यालय में अपनी पूर्व सेवा पर लौट नहीं सकेंगे।

अतिरिक्त मद संo: 8. विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/DR-II/30741-48/20 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा स्वीकृत तकनीकी त्याग—पत्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः सर्वसम्मित से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 9. वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.11.2019 के अ0म0सं0 — 7 के आलोक में विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/IC/8060-69/19 दिनांक 03.07.2019 द्वारा गठित समिति जो अंगीभूत महाविद्यालय में संचालित बी०एड० पाठयक्रम के किर्मियों के वेतन निर्धारण एवं सेवा सम्पुष्टि के संबंध में है, के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त के प्रसंग में विस्तृत जानकारी के साथ कार्यालय द्वारा प्रस्ताव बाद में अभिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

अतिरिक्त मद सं0: 10. श्री रामबाबू चौधरी को आर0के0ए0 लॉ कॉलेज, बेगूसराय का दान—दाता घोषित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 11. राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/पी०सी0-03/2011-991 दिनांक 11.08.2018 के आलोक में सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में पद-सृजन एवं सेवा-सम्पुष्टि की बैठक दिनांक 14.01.2020 में शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी अनुशंसा की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 12. राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/पी०सी0-03/2011-991 दिनांक 11.08.2018 के आलोक में सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में पद-सृजन, अन्तर्लीकरण एवं सेवा-सम्पुष्टि की बैठक दिनांक 14.01.2020 में शिक्षकों के पदों की सृजन सम्बन्धी अनुशंसा की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद संo: 13. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम महिला प्रौधोगिकी संस्थान, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 22.02.2020 में की गयी अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 14. दिनांक 26.11.2020 को आयोजित "अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति" के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0: 15. महात्मा गाँधी सदन के सलाहकार परिषद् की 12वीं बैठक दिनांक 25.11.2020 में लिए गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद संo: 16. To consider the resolutions of MBA Advisory Council held on 25.11.2020.

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान मद संo: 1. अध्यक्ष की अनुमित से माननीय सदस्य प्रोo प्रेम मोहन मिश्र ने शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के प्रमोशन एवं जिन प्रधानाचार्यों की चयन समिति हो चुकी है उनकी अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव रखा।

निर्णयः सर्वसम्मित से निर्णय हुआ कि जिन शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की पदोन्नित चयन सिमिति से हो चुकी है उनकी अधिसूचना जारी कर दी जाय और जिनकी चयन सिमिति नहीं हुई है उनके लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस विश्वविद्यालय के शिक्षक जो यहाँ प्रधानाचार्य है उनके समान ही अन्य विश्वविद्यालयों से आये प्रधानाचार्यों की भी पदोन्नित होगी।

अन्यान मद सं0: 2. माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, डाँ० दिलीप कुमार चौधरी एवं डाँ० विनोद कुमार चौधरी ने अनुकम्पा पर नियुक्ति में विलम्ब का कारण जानना चाहा और यथा शीघ्र बहाली का प्रस्ताव रखा।

निर्णय : सर्वसम्मित से यह निर्णय हुआ कि अनुकम्पा पर बहाल होने के लिए जितने आवेदन आए हैं उनकी जाँच कर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।

अन्यान मद सं0: 3. माननीय सदस्य प्रो0 दिलीप कुमार चौधरी ने संत कबीर कॉलेज, समस्तीपुर में शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव में अनियमितता एवं एडहाँक कमिटी एवं सचिव द्वारा मनमानी करने की जॉच का प्रस्ताव रखा।

निर्णय : अध्यक्ष महोदय के द्वारा जॉच समिति बनाने का नियमन दिया गया और सर्वसम्मित से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अन्यान मद सं0: 4. माननीय सदस्य डाँ० विनोद कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री सरोज कुमार चौधरी, तृतीय वर्गीय कर्मी के प्रोन्नित का मामला उठाया कि उन्हें अभी तक कोई प्रोन्नित नहीं मिली है। निर्णयः

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त मामले पर नियमानकूल कार्रवाई की जाय।

अन्यान मद सं0: 5.

माननीय सदस्य डाँ० प्रेम मोहन मिश्र ने श्री मोहन कुमार मिश्र, च0व0क0 के नियुक्ति

का मामला सदन के समक्ष रखा।

निर्णय:

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त मामले में जॉचोपरान्त नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

अन्यान मद सं0: 6.

माननीय सदस्य डाँ० प्रेम मोहन मिश्र ने विश्वविद्यालय परिसर के भवनों, सड़कों एवं तालाबों का नामाकरण 2017 में हो जाने के बाद भी इसे लागू नहीं करने का मामला उठाया।

निर्णय:

सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि नामकरण का बोर्ड संबंधित स्थानों पर लगाया जाय।

बैठक समाप्ति से पूर्व माननीय सदस्य प्रो0 विनोद कुमार चौधरी ने अभिषद् की शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से बैठक संचालक पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस के लिए माननीय अध्यक्ष को साधुवाद दिया।

अन्त में माननीया प्रति-कुलपति, प्रो0 डॉली सिन्हा ने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि को सुदृढ़ करने हेतु कई कार्यक्रमों की रूप रेखा भी रखा, जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद ज्ञापन के बाद माननीय अध्यक्ष की अनुमाति से कुलसचिव ने आज की बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

80/-(डॉ० मुश्ताक अहमद) कुलसचिव-सह-सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

अनुमोदित। 80/-(प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह) कुलपति-सह-अध्यक्ष

दिनांकः 28-11-2021

अभिषद के सभी माननीय सदस्य, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

- 2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
- नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।